भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. पीसी-VII/2019/Grievance/9 नई दिल्ली दिनांक: 22/04/2019

संदर्भ:- (i) MORLY/E/2019/02776 दिनांक 24.02.2019.
(ii) PMOPG/E/2019/0112180 दिनांक 24.02.2019.

महोदय,

कृपया दिनांक 24.02.2019 की अपनी शिकायतों का अवलोकन करें, जिन्हें आईडी सं. MORLY/E/2019/02776 और PMOPG/E/2019/0112180 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

2. आपकी शिकायत से संबंधित एक ब्रीफ नोट इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त।

(जया कुमार जी)
उप निदेशक, वेतन आयोग-VII
रेलवे बोर्ड

o/c
Pls. issue
22.4.19

23/4/19

Scanned by CamScanner

ब्रीफ

संदर्भ : (i) **MORLY/E/2019/02776 दिनांक 24.02.2019.**

(ii) PMOPG/E/2019/0112180 दिनांक 24.02.2019.

मुद्दा : **रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वेतन संरचना का ग्रेड पे-4600/लेवल-7 से ग्रेड पे-4800/लेवल-8 में उन्नयन।**

टिप्पणियां: रेल मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को दिनांक 08.02.2017 को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें सभी विभागों (लेखा विभाग के अलावा) के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के 75% पदों को वर्तमान लेवल-7 से लेवल-8 में उन्नयन करने का अनुरोध किया गया है। इसके उत्तर में, वित्त मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि यह प्रस्ताव 7 वें सीपीसी की सिफारिशों से संबंधित है, जिसमें रेलवे के लेखा और रसायन एवं धातुकर्म विभाग की कुछ श्रेणियों के उन्नयन के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा गठित की गई समिति के पास विचाराधीन है; और रेलवे के प्रस्ताव पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस मामले पर निर्णय लिए जाने के पश्चात ही विचार किया जाएगा। अब तक समिति ने रसायन एवं धातुकर्म विभाग के तहत पदों के संबंध में अपने विचार निश्चित कर लिए हैं, बहरहाल, रेलवे के लेखा विभाग के पर्यवेक्षक के संबंध में 7वें सीपीसी की सिफारिशों पर तक समिति द्वारा अभी भी विचार किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner